न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी –श्री कैलास चन्द्र लखारा,आर ए एस

अपील संख्या– एल आर ए/03/2018

उनवान

1. मदन लाल पुत्र रूप लाल रेगर, निवासी पचानपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
2. कालू लाल पुत्र रूप लाल रेगर, निवासी पचानपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
3. बंषी लाल पुत्र रूप लाल रेगर, निवासी पचानपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
4. मु0 भगवानी पुत्री रूप लाल रेगर, निवासी पचानपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
5. श्रीमती जमनी पत्नी रूप लाल रेगर, निवासी पचानपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अपील विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया के प्रकरण संख्या 01/2017 निर्णय दिनांक 10.10.2017

अभिभाषक : 1. श्री बी एल वैष्णव , अधिवक्ता अपीलार्थीगण

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 31.1.2020

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व (सिंचाई प्रयोजन के लिए कुए खोदने और पंप सेट लगाने के लिए भूमि का आवंटन) नियम 1979 के नियम 9 के अधीन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पचानपुरा तहसील बिजौलिया के खसरा संख्या 340 किस्म बजड में से 0.02 बिस्वा भूमि पर खोदे गये चाह के नियमन बाबत प्रस्तुत किया ।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने न्यायालय हाजा में प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है । उनका यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण के पिता व पति रूपा जी रेगर ने अपनी कब्जेसुदा खातेदारी आराजी में करीब 15–20 वर्ष पूर्व कुए का निर्माण किया । तब से अपीलार्थीगण के पिता व उनके पति रूपा जी व उनकी मृत्यु के बाद अपीलार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी संख्या 863 रकबा 02 बीघा की सिंचाई करते चले आ रहे है। परन्तु उक्त कुए का अंकन

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा

राजस्व रेकार्ड में नहीं होने से बिजली का कनेक्शन नहीं हो रहा था । अपीलार्थीगण द्वारा उक्त कुए को राजस्व रेकार्ड व नक्शा मे दर्ज करवाने की कार्यवाही की गई । जिसके दौरान जानकारी मे आया कि उक्त कुआ बिलानाम भूमि आराजी नम्बर 340 में खातेदारी आराजी के पास स्थित है जिस पर तहसीलदार द्वारा करीब 2,3 वर्ष से धारा 91 एल आर एक्ट के तहत कार्यवाही प्रारंभ की गई। जिस पर अपीलार्थीगण द्वारा उक्त कुए के नियमन की कार्यवाही का अवेन अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । जिस पर तहसीलदार की रिपोर्ट व अनापत्ति व सहमति आने पर भी अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण का आवेदन पत्र खारिज कर दिया गया । जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण द्वारा कुआ नियमन हेतु निर्धारित प्रपत्र पर पेश किया था । जो सभी खातेदारान के नाम से पेश किया गया था। सभी खातेदारान के हस्ताक्षर व अगूठा निशाानी किये गये हैं। जिसकी अनदेखी कर आवेदन पत्र मात्र मदन लाल की ओर से मानने में भारी भूल कर अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो निरस्त योग्यहै।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि विवादित कुआ अपीलार्थीगण के पिता/पति ने खुदवाया था, जिसकी ताईद रिपोर्ट पटवारी से होती है जिसमे कुआ 50 फीट गहरा है तथा नवीन चाह नही अंकित किया है तथा मौके की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि कुआ पुराना है , कुआ खातेदारी की आराजी समझकर खुदवाया गया , जिससे राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने की कार्यवाही के दौरान जानकारी मे आया कि उक्त कुआ बिलानाम भूमि मे है । इस जानकारी के बाद धारा 91 राजस्थान भू राजस्व

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अधिनियम के तहत अपीलार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही आरम्भ की गई है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थीगण के नाम आवंटन का नियमन कर वादग्रस्त आता चाह अपीलार्थीगण के नाम दर्ज कराये जाने का आदेश प्रदान करावें।

7. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए अपील अपीलार्थीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

8. हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान भू राजस्व (सिंचाई प्रयोजन के लिए कुए खोदने और पंप सेट लगाने के लिए भूमि का आवंटन) नियम 1979 के नियम 9 के अधीन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पचानपुरा तहसील बिजौलिया के खसरा संख्या 340 किस्म बजड में से 0.02 बिस्वा भूमि पर खोदे गये चाह का नियमन किये जाने का का आवेदन किया गया ।

9. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र पर प्रार्थीगण ने हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी किये हैं। उक्त आवेदन पत्र के प्रारूप में पटवारी हल्का द्वारा ग्राम पचान पुरा की कआराजी नम्बर 340 किस्म बंज डमें कुए का निर्माण किया जाना एवं उससे सिंचाई किये जाने का अंकन किया गया है। उक्त कुआ 50 फीट गहरा तथा 15 फिट चौडा निर्मित होना बताया गया है एवं नियमानुसार नियमन किया जाना उचित/अनुचित नहीं दर्शाया गया है। रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा मुताबिक रिपोर्ट नियमानुसार नियमन हेतु रिपोर्ट पेश हो का अंकन किया गया है। उक्त रिपोर्ट के

(कैलाश [illegible] लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी [illegible] पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अनुसार उक्त नियमन को नहीं किये जाने बाबत निवेदन नहीं किया गया है। उक्त आवेदन पत्र में रिपोर्ट तहसीलदार में नियमानुसार आवंटन किये जाने की अभिशषा की गई है। उक्त आवेदन में प्रारूप ख के पृष्ठ भाग में 14 बिन्दुओं पर पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट चाही गई है। जिसमें 12 बिन्दुओं पर पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा कोई विपरीत टिप्पणी अंकित नहीं की गई है।

10. भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा जो मौका पर्चा दिनांक 11.4.2017 को तैयार किया गया है। उक्त रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि " इस आराजी में मदन लाल पिता रूप लाल रेकर निवासी पचानपुरा ने एक बिस्वा भूमि में कुआ खोद रखा है । जो खातेदारी भूमि की सीमा व कुए के अंतिम सीमा के बीच की दूरी दस गठ्ठा (20 मीटर) है। कुए की गहराई लगभग 50 फिट है कुए की चौडाई (व्यास) 15 फिट है कुए में सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी है। इस कुए से प्रार्थी अपनी शामलाती खातेदारी भूमि आराजी नम्बर 863/340 रकबा 2 बीघा किस्म बारानी ।।। की सिंचाई करता है। कुआ 0.01 बिस्वा में बना हुआ है एवं 0.01 बीघा भूमि इंजन रखने व कुए से खातेदारी भूमि तक पाईप लाईन के काम आ रही है। **मौके पर कुए को नियमन करने की किसी प्रकार की सार्वजनिक आपत्ति नहीं है।** " इस रिपोर्ट के आधार पर कुए को नियमन किये जाने में किसी के द्वारा कोई आपत्ति भी प्रस्तुत नहीं की गई है। उक्त कुआ अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण के पक्ष में नियमन किये जाने बाबत ग्राम पंचायत आरोली द्वारा भी दिनांक 23.1.2017 को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इसी कम में सहायक अभियन्ता , सार्वजननिक निर्माण विभाग (पी डब्ल्यू डी)उपखण्ड माण्डलगढ द्वारा भी अपने पत्रांक 17.1.2017 द्वारा अनापत्ति जारी की गई है। इसी प्रकार कार्यालय

(कैलाश चंद्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

प्रभारी भू–जल वैज्ञानिक , भू जल विभाग, (सर्वेक्षण एवं अनुसंधान) भीलवाडा द्वारा भी अपीलार्थीगण के पक्ष में कुआ नियमन किये जाने बाबत अभिशंषा की गई है।

11. कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड द्वितीय भीलवाडा द्वारा अपने पत्र दिनांक 15 मई 2017 द्वारा उक्त भूमि सरकारी भूमि है इसलिए बिलानाम भूमि का स्वामित्व राजस्व विभाग को है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सभी विभाग द्वारा एवं ग्राम पंचायत द्वारा तथा राजस्व विभाग पटवारी हल्का, तहसीलदार द्वारा भी अनुशंषा/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। चूंकि अपीलार्थीगण द्वारा जिस भूमि पर आता चाह का निर्माण किया गया है वह बिलानाम होकर राजस्थान भू राजस्व (सिंचाई प्रयोजन के लिए कुए खोदने और पंप सेट लगाने के लिए भूमि का आवंटन) नियम 1979 के तहत नियमन किये जाने का प्रावधान है। उक्त कुए का उपयोग कृषि भूमि की सिंचाई के लिए ही किया जाना प्रकट हुआ है। इससे विपरीत कोई रिपोर्ट पत्रावली पर नहीं है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर अपीलार्थीगण द्वारा ग्राम पचानपुरा तहसील बिजौलिया के खसरा संख्या 340 किस्म बजड में से 0.01 बिस्वा भूमि पर खोदे गये चाह का नियमन किये जाने के साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जाना उचित समझते हैं।

12. अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.10.2017 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में 3 माह के भीतर विधिवत नियमन की कार्यवाही की जावे ।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक को उपस्थित रहे।

13. निर्णय आज दिनांक 31.1.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी एवं भीलवाड़ा
राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chandra Lakhara
Date: 2020.01.31 14:31:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: